राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 196/2025 रे0वाद

अनवान

लक्ष्मी देवी पत्नि नारायण सिंह।
हितेष सिंह पुत्र नारायण सिंह।
रविन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह।
वादी संख्या 02 व 03 नाबालिग जरिये माता सरपरस्त माता लक्ष्मी देवी पत्नि नारायण सिंह,
नरेन्द्र सिंह पुत्र मेशासिंह।
समस्त निवासीयान् पावटिया हाल कालेटरा तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भीम, जिला राजसमंद
02. भू–प्रबंध अधिकारी, भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

स्थिति :—
01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः— 7/5/2026

उक्त धारा से संबंधित वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय हाजा में
ुत हुआ।

वाद पत्र

प्रकरण वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कालेटरा, पटवार क्षेत्र कुकरखेड़ा
ील भीम जिला राजसमंद में गत आराजी नम्बर 1098 आई हुई थी जो बिलानाम सरकार थी।
कि उक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी संख्या 01 के ससुर जो सैनिक थे
05 बीघा भूमि पत्रावली संख्या 78/68 के द्वारा दिनांक 17.06.1968 को आवंटन की गई एवं
ा भी मेषासिंह जी को सुपुर्द कर दिया था एवं मौके पर तत्समय ही पटवारी द्वारा वादी संख्या
के ससुर को कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से उक्त भूमि पर मेषासिंह जी का कब्जा चला आ
था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का निरन्तर अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा
था वे ही काश्त करते कराते चले आ रहे है। यह कि तत्पश्चात् सेटलमेन्ट की कार्यवाही चल
थी जिस कारण से उक्त आवंटन का अमल दरामद नही हो पाया एवं सेटलमेन्ट अधिकारियों

Scanned with OKEN Scanner

उक्त भूमि को गलत तरीके से चारागाह दर्ज कर दी जिसके हाल आराजी नम्बर 1737 मीन
। यह कि वादी संख्या 01 के ससुर मेपासिंह एवं वादीगण को कभी भी किसी भी अधिकारी या
चारी द्वारा बेदखल नही किया गया वह निरन्तर अपने पूर्वजों के समय से शांति पूर्वक काश्त
ते चले आ रहे है मात्र उक्त आवंटन आदेश का इन्द्राज नही होने से वादीगण को भय रहता है
प्रतिवादी संख्या 01 या उनके अधीनस्थ कर्मचारी उक्त आराजी में स्थित 05 बीघा भूमि जिस
वादीगण का कब्जा है से बेदखल नही कर दे। यह कि उक्त आवंटन का असल दरामद
दीगण जमाबंदी में करवाना चाहते है जिस कारण से भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो
ा वादीगण उक्त आराजी का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग कर सके। यह कि वादी संख्या 01
ससुर ने उक्त आराजी पर काफी रुपया व्यय करते हुए काफी उन्नत व विकसित कर कृषि
य बनाया है जिस पर वे काश्त करते थे तथा अब वादीगण अपने हिस्सेनुसार उस पर निरन्तर
सल पैदा करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 या उनके अधीनस्थ किसी भी समय
त आराजी की हाल किस्म चारागाह होने से उन्हें कभी बेदखल कर सकते है प्रतिवादीगण को
रये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वादीगण के कब्जेशुदा हाल आराजी
बर 1737 में से 05 बीघा भूमि जिस पर वादीगण का कब्जा है से उन्हें बेदखल नही करे इस
उन्हें पाबंद कराया जावे तथा किसी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत नही करे कब्जा लेने की
शिश नही करे न ही अपने नौकर या एजेन्ट से ही करावें।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि

01. मौजा कालेटरा, पटवार क्षेत्र कुकरखेड़ा, तहसील भीम की आराजी नम्बर 1737 रकबा 173 बीघा 13 बिस्वा किस्म चारागाह में से 05 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व अलग खाता खोला जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा किस्म भी परिवर्तित की जावे व प्रतिवादी संख्या 01 का नाम उक्त भूमि से हटाया जावें।
02. कि प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नही करे। कब्जा करने की कोशिश नही करे व न ही अन्य से ही करावें।

अतः वाद प्रस्तुत है।

लिखित कथन

वादी द्वारा उक्त वाद पत्र इस आधार पर न्यायालय में पेश किया गया। वाद पत्र की च कर वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को मय नकल प्रार्थना के सम्मन जारी किए गए। प्रत्युत्तर में तहसीलदार भीम द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे मिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है –

- यह कि वाद पत्र की चरण संख्या तीन मे अंकित कथन को सिद्ध करने हेतु वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है, ना ही तत्समय प्रचलित राजस्व अभिलेख की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि तत्समय प्रचलित अभिलेख में वादीगण के पूर्वज अथवा वादपत्र में उल्लेखित आवंटी का तत्समय प्रचलित अभिलेख में अंकन था जिसे भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान विलोपित किया गया हो। अतः पैरा संख्या दो में अंकित वादी का कथन अस्वीकार योग्य है।
- यह कि वाद पत्र में अंकित ग्राम कालेटरा का हाल खसरा नम्बर 1737 अभिलेख में चारागाह भूमि दर्ज है जिस पर वादीगण द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के अनाधिकृत कब्जा किये जाने की स्थिति में वादीगण के विरूद्ध नियमानुसार बेदखली

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही किया जाना विधिसंगत प्रक्रिया का भाग है अतः वादपत्र की पैरा संख्या चार में अंकित कथन अस्वीकार योग्य है।

- यह कि प्रकरण से संबंधित ग्राम कालेटरा का आराजी खसरा नम्बर 1737 वर्तमान अभिलेख में चारागाह भूमि दर्ज है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंधित है अतः पैरा संख्या पांच में अंकित कथन अस्वीकार योग्य है।
- यह कि वादपत्र में उल्लेखित भूमि ग्राम कालेटरा के साबिक खसरा नम्बर 1098 में तत्समय प्रचलित राजस्व अभिलेख में वादपत्र में उल्लेखित आवंटी का अंकन होने अथवा कब्जा काश्त होने बाबत वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में वादीगण का यह कथन कि उक्त साबिक खसरा नम्बर 1098 मे आंवटित भूमि को भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान आवंटी के नाम दर्ज नही करके गलत तरीके से चारागाह भूमि दर्ज किया गया है अस्वीकार किये जाने योग्य है।

पत्रावली में वादी वकील द्वारा जवाब पेश करने पर तनकी कायम करने बाबत भी निवेदन किया गया, तनकियात बिन्दु वाईज ऑर्डरशीट में लिखी जाकर शामिल मिसल है।

साक्ष्य वादी/साक्ष्य प्रस्तुत किए

वादी को साक्ष्य हेतु समय दिया गया वादी द्वारा साक्ष्य में स्वयं लक्ष्मी देवी पत्नि नारायण सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी पावटिया हाल कालेटरा, पन्ना सिंह पिता उदय सिंह जाति रावत निवासी उण्डावासन तहसील देवगढ़ एवं भंवर सिंह पिता पन्ना सिंह जाति रावत निवासी कालेटरा तहसील भीम जिला राजसमंद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस

वादी को बहस हेतु समय दिया जाकर दिनांक 29.4.26 को उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई जिसमें उभयपक्षकारान् द्वारा वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को ही पुनः दोहराया गया।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र के पत्रावली में मौजूद दस्तावेज एवं बहस अनुसार प्रस्तुत वाद पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी द्वारा सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान उक्त शिकायत/अपील बंदोबस्त अधिकारी (Settlement Officer) को प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता था परन्तु वादी द्वारा निर्धारित समयावधि में किसी भी प्रकार की अपील नही की गयी। साथ ही पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद पत्र के बिन्दुओं के आधार पर भी उक्त वाद में वादी द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/5/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला - राजसमन्द